

बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि०
(बिहार सरकार का उपक्रम)

कार्यालय आदेश

पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु दिनांक 10.02.2018 को आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अनुशंसित की गयी पैनल के आधार पर निम्न सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक का नियोजन Enforcement Officer (प्रवर्तन अधिकारी) के पद पर संविदा के आधार पर सशर्त की जाती है:-

क्र०	नाम	कोटि
1.	श्री रमेश प्रसाद सिंह	अनारक्षित
2.	श्री शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	अनारक्षित
3.	श्री रमता प्रसाद सिंह	अनारक्षित
4.	श्री ललित कुमार सिंह	अनारक्षित
5.	श्री तेज नारायण शर्मा	अनारक्षित
6.	श्री शम्भू शरण शर्मा	अनारक्षित
7.	श्री उद्धवजी सिंह	अनारक्षित
8.	श्री गिरिश कुमार अम्बष्ट	अनारक्षित
9.	श्री नन्दू शर्मा	अनारक्षित
10.	श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह	अनारक्षित
11.	श्री कृष्ण प्रकाश	अनारक्षित
12.	श्री अजीत कुमार सिंह	अनारक्षित
13.	श्री अजीत कुमार	अनारक्षित
14.	श्री अब्दुल सत्तार सैफ	अनारक्षित
15.	श्री अनिल कुमार प्रधान	पिछड़ा वर्ग
16.	श्री ब्रज बल्लभ सिंह	पिछड़ा वर्ग
17.	श्री हृदय नारायण सिंह	पिछड़ा वर्ग
18.	श्री इन्द्रदेव चौधरी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
19.	श्री अली हुसैन मियाँ	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
20.	श्री कैलाश प्रसाद	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
21.	श्री शशि कुमार शशि	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
22.	श्री राजेन्द्र राम	अनुसूचित जाति
23.	श्री सीताराम चौधरी	अनुसूचित जाति
24.	श्री रामेश्वर राम	अनुसूचित जाति
25.	श्री मैनेजर राम	अनुसूचित जाति

1. संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरांत की जा सकेगी, परन्तु सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से संविदा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
2. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं होगा, तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा। जिन रिक्तियों के विरुद्ध संविदा पर नियोजन की जा रही है, उनपर नियमित नियुक्ति होने के बाद इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
3. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो होगी, वही होगी। मासिक मानदेय की यह राशि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
- 4- नियोजित पदाधिकारी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य होगा।

5- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।

6- चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7- चयनित अभ्यर्थी अविलम्ब BSMC में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उनके योगदान की तिथि से सेवा मान्य होगी।

8- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-महाप्रबंधक (द्विस्त एवं ऑपरेशन), बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....⁷⁹पटना, दिनांक ^{23.02.2018}.....

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)